



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 76 राँची, सोमवार,

28 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-23/2017-2111(HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटकी, राँची के विरुद्ध मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता/लापरवाही बरतने, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण के कार्यों में असंतोषजनक प्रदर्शन, गलत प्रतिवेदन दिये जाने एवं अवकाश अवधि में योजना की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-648/ग्रा०वि०, दिनांक-08.02.2017 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची के पत्रांक-217/स्था०, दिनांक-19.12.2016 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री सुरीन के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सुरीन को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री सुरीन द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री सुरीन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NEET NIKHIL SURIN 20080400115	श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटकी, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
